

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 3/पी०एम०सी०/विविध/275/2019- 01/22-23 4. 47 / राँची, दिनांक 18.04.2022
प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।
सेवा में,
महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राँची परिक्षेत्राधीन विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा मूल्यांकन हेतु विभिन्न परामर्शियों द्वारा तैयार किये गये डी०पी०आर० गठन के विरुद्ध बकाया भुगतान करने के लिए रुपये 187.99 लाख (एक करोड़ सत्तासी लाख निन्यानबे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृति

2. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राँची परिक्षेत्राधीन विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा मूल्यांकन हेतु विभिन्न परामर्शियों द्वारा तैयार किये गये डी०पी०आर० गठन के विरुद्ध बकाया भुगतान करने के लिए रुपये 187.99 लाख (एक करोड़ सत्तासी लाख निन्यानबे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. विगत वर्षों में दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति में कई योजनाओं का समावेश कर एकमुश्त राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती थी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किस - किस योजना में कितने राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस वजह से उक्त योजनाओं के दायित्व का भुगतान हेतु आवंटन निर्गत करने में कठिनाई आ रही है।
4. इसके समाधान के लिए दिनांक-22.11.2021 को अभियंता प्रमुख-1 की अध्यक्षता में बैठक की गई जिसमें मुख्य अभियंता (मो०), सयुक्त सचिव (अभियंत्रण) एवं उप सचिव (अभियंत्रण) उपस्थित थे। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रवार DPR सूत्रण के वैसे कार्य जिसके लिए पूर्व में स्पष्ट कर्णांकन नहीं किया जा सका अथवा जिसके पूर्व में विभिन्न प्रशासनिक स्वीकृति आदेश से राशि आवंटित की गई है तथा वर्तमान में दायित्व सृजित है, के अवशेष राशि हेतु आवंटन के लिए पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाई की जाए।
5. इसके अन्तर्गत परिशिष्ट-I में वर्णित कार्य कराये जाने का प्रावधान है:-
 - (i) परिशिष्ट-I के अनुसार मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राँची अन्तर्गत डी०पी०आर० निर्माण कार्य हेतु भुगतान किये जाने वाले राशि एवं शीर्ष की विवरणी निम्नवत है।

क्र०सं०	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	राशि (लाख में)	शीर्ष
(i)	मुख्य अभियंता राँची	रु० 187.99	49-S-4701-80-796-75-00-06-49

6. परिशिष्ट -I अन्तर्गत कार्यो हेतु पूर्व से निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध भविष्य में आवंटन निर्गत नहीं किया जा सकेगा।
7. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-
(i) माँग संख्या - 49-S- जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष -75- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष -06- अनुदान 49- आर्थिक सहायता (49S47018079675000649) के बजट शीर्ष अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में रु० 150.00 लाख का प्रावधान है।
8. परिशिष्ट-I में वर्णित कार्यो के व्यय हेतु योजना/कार्य से संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी इन कार्यो का सतत पर्यवेक्षण करते हुए आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करेंगे।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
11. प्रस्तावित कार्यो पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
13. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्नु राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 3/पी०एम०सी०/विविध/275/2019- 01/22-23 य.ल. /राँची, दिनांक 18.04.2022

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 3/पी०एम०सी०/विविध/275/2019- 01/22-23 4.41/राँची, दिनांक 18.04.2022
प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.04.22
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 3/पी०एम०सी०/विविध/275/2019- 01/22-23 4.41/राँची, दिनांक 18.04.2022

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.04.22
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 3/पी०एम०सी०/विविध/275/2019- 01/22-23 4.41/राँची, दिनांक 18.04.2022

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18.04.22
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

Balance Amount against DPR Preparation work under Water Resources Department, Jharkhand

परिशिष्ट-1

(Amount in Lakhs Rs.)

Sl. No	Name of Work	Name of Division	Name of Consultant	Agreement Value & Date	Upto Date Expenditure	Balance Amount to Be Paid
1	2	3	4	5	6	7
Chief Engineer Zone:- Chief Engineer, WRD, Ranchi						
1	Preparation of DPR of Latratu Reservoir Scheme under ERM Projct.	Water Ways Division, Khunti	WAPCOS Ltd	Rs. 50.00/ Dt.- 18.10.2015	24.91	25.09
2	Command area survey of Kanchi Irrigation Project under CADWM	Irrigation Division, Bundu	WAPCOS Ltd	Rs. 181.38/ Dt.- 21.06.2012	163.34	18.04
3	DPR for ERM work of Roro Res. Scheme	Water Ways Division, Chaibasa	WAPCOS Ltd	Rs. 58.00/Dt.- 17.10.2015	30.00	28.00
4	DPR for ERM work of Torlow Res. Scheme	Water Ways Division, Chaibasa	Lahmeyer India	Rs. 61.50/Dt.- 08.04.2017	13.09	48.41
5	DPR for ERM work of Putungra Res. Scheme	Water Ways Division, Chaibasa	Tractebel Engineering Pvt. Ltd.	Rs. 23.00/ Dt.- 08.04.2017	10.78	12.22
6	DPR for Dugani Barrage Yojna	Water Ways Division, Chaibasa	Arvee Associates Architects engineers & Consultancy Pvt. Ltd.	Rs. 115.00/ Dt.- 17.01.2017	101.25	13.75
7	DPR for ERM work of Katri Res. Scheme	Water Ways Division, Gumla	WAPCOS Ltd	Rs. 43.00/ Dt.- 23.07.2015	38.54	4.46
8	DPR for ERM work of Dhanshingh Toli Res. Scheme	Water Ways Division, Gumla	WAPCOS Ltd	Rs. 37.00/ Dt.- 23.07.2015	32.47	4.53
9	DPR for ERM work of Jaipur Res. Scheme	Water Ways Division, Gumla	WAPCOS Ltd	Rs. 26.00/ Dt.- 19.05.2017	24.44	1.56
10	DPR for ERM work of Phuljhar Res. Scheme	Water Ways Division, Gumla	WAPCOS Ltd	Rs. 36.00/ Dt.- 09.05.2017	33.88	2.12
11	DPR for ERM work of Tapkara Res. Scheme	Water Ways Division No. 1, Simdega	WAPCOS Ltd	Rs. 35.00/ Dt.- 26.07.2015	27.8	7.20
12	DPR for ERM work of Vijay Res. Scheme	Water Ways Division No. 1, Chakradharpur	WAPCOS Ltd	Rs. 21.50/ Dt.- 21.04.2017	15.57	5.93
13	DPR for ERM work of Jenasai Res. Scheme			Rs. 32.00/ Dt.- 21.04.17	23.17	8.83
14	DPR for ERM work of Sonua Irrigation Scheme			Rs. 21.00/ Dt.- 21.04.2017	15.20	5.8
15	Preparation of DPR Estimate, BOQ, Submission of drawing & other related documents at different stages and supervision of work till completion of proposed building (B+G+4) in the campus of design, Planning & Monitoring Circle, Doranda, Ranchi	Quality Control Division, Ranchi	M/S Asix Architects & Planners	Rs. 12.08/ Dt.- 03.12.2013	10.03	2.05
Sub Total :-					376.22	187.99

(A)

01/22-23 Y. Est., 16.04.2022 - 18.04.2022

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची